

डिक्री एवं मुकदमे ईव्तादाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 629/2024

निर्मल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह.
संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम

- वादी

- 1 बलदेव सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह.
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर. ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 10 एम.जे.डी. खाता स. 64/37 खाता बलदेव सिंह ज.स. 2070-73 में प्रति स. 1 बलदेव सिंह पुत्र जंग सिंह के नाम 8.9910 है0 आराजी मे से 2.530 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.530 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। वादी का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। दावा की दफा 4 निम्नप्रकार से है:-

ए वादी निर्मल सिंह पुत्र बलदेव सिंह का हिस्सा:-

चक 10 एम.जे.डी. खाता स. 64/37

145/182 44 1-2-3-4/.253प्र 5/1/.228

5/2/.025 गै.मु.रास्ता 6/1/.228

6/2/.025 गै.मु.रास्ता 7-8-9-10/.253प्र

कुल 2.530 है0 आराजी

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....X..... नल.....X..... मुब्लिक.....X..... निल.....X..... बाबत.

.....X..... निल.....100/-..... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...1.1.2025...को जारी किया गया।


(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

